फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कमलाशंकर बनाम उदा (गॉंवा)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 84 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2-5-23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 16-5-23 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
9-6-23	पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत लुहारिया मे पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे श्रा०प० किये गये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। हुकमीचन्द राहलानेया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:46:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी--हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 84/23 प्रा०पत्र

1– श्री कमलाशंकर s/o श्री मोहन लाल रेगर निवासी-रेगर बस्ती पीपली रोड़ा त० बेगूं [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री उदा s/o श्री भैरु गील निवासी-भगतानपुरा तहसील-माण्डल [वगैरा]
(पृष्ठांकित प्रार्थना पत्र सहित)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 09.06.23

::आदेशः::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भगतानपुरा पटवार हल्का भगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 101, 102, 4631/103, 4634/83, 83 कुल किता 05 रकबा 2.0235 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.05.23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए वैधानिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगतानपुरा पटवार हल्का भगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 101, 102, 4631/103, 4634/83, 83 कुल किता 05 रकबा 2.0235 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगतानपुरा को 800-/- रुपये/-- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:46:44 IST
Reason: SelfAttested

हुकमीचन्द राहलानेया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द राहलानेया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023